बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक 'हस्तक' पुस्तक के रूप में प्रकाशन हेतु कोटेशन संबंधी सूचना

पत्रांक– 2181 पटना, दिनांक– 30/01/2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक 'हस्तक' पुस्तक के रूप में मुद्रण कराया जाना है। उक्त 'हस्तक' का 500 (पाँच सौ) प्रतियों में पुस्तक के रूप में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। 'हस्तक' में 274 पृष्ठ होने की सम्भावना है, जिसके मुद्रण करने, उसका बंधन एवं बाईडिंग कर कार्य स्थल पर पहुँचाने का कार्य सम्पादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित/रजिस्टर्ड डाक एवं हाथों–हाथ विभाग के प्राप्ति पटल पर दिनांक 30.01.2026 के अपराह्न 05:00 से दिनांक 02.02.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। उक्त 'हस्तक' का स्वरूप निम्नवत् होगाः–

क्र0	पुस्तक का विवरण	पृष्ठों की संख्या (लगभग)/पुस्तकों की संख्या	कागज की गुणवत्ता
1	अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक **'हस्तक'** (500 प्रतियों में मुद्रण)	274/ 500 प्रतियों में मुद्रण	मल्टीकलर 300 जी0एस0एम आर्ट पेपर लेमिनेशन सहित टेक्ट पेपर मल्टीकलर 80 जी0एस0एम0 आर्ट पेपर पर छपाई, साईज ए4 बाईडिंग

नोटः– 1. इसमें सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पास सुरक्षित होगा।

2. पृष्ठों की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है।

इस संबंध में कोई भी अन्य जानकारी **प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना** के मोबाईल संख्या–8709424052 पर उक्त अवधि में दिनांक 30.01.2026 के अपराह्न 05:00 से दिनांक 02.02.2026 के अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.html** पर इच्छुक कोटेशनदाताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

नोटः–कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैः–

(1) विगत 01 वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी अभिलेख

(2) जी0एस0टी0 पंजीकरण से संबंधित अभिलेख

(3) कार्यादेश निर्गत होने के 02 दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तक प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि के 02 दिनों के भीतर मुद्रण का कार्य सम्पन्न करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई विषय से संबंधित सभी सामग्रियों की एक **'हस्तक'** विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

30.01.26

(राज किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव